कालूलाल बनाम यशवन्त

अपील संख्या : 2022/92

11.05.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री महेश योगी द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई । अपील पर अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अन्तरिम आदेश पारित करते हुए ग्राम देई तहसील नैनवा के नया खाता संख्या 1202 एवं पुराना खाता 1289 की आराजी खसरा नम्बर 4809/1565 रकबा 0.2993 हैक्टर भूमि में से 01 बीघा भूमि मेन रोड देई के सहारे रोड से पूर्वी ओर की भूमि को रहन, बेचान नहीं करने एवं रेस्पोडेन्ट को बेदखल नहीं करने हेतु अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट आदेश जारी करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय को अन्तरिम आदेश पारित करने के बाद अप्रार्थीगण को एक माह से कम की तारीख पेशी अंकित कर सुनवाई हेतु नोटिस दिये जाने चाहिए थे । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्याालय को प्रेतिप्रेषित किया जावे । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करने का कथन किया । हमने अपील मीमो का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 का अवलोकन किया । चूँकि परीक्षण के द्वारा दिनांक 02.03.2022 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 04.04.2022 की तारीख नियत की गई है जो कि 01 माह से अधिक की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

तद्नुसार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2014 पेज 345 के मध्यनजर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल है ।

परीक्षण न्याायालय को अन्तरिम आदेश पारित करने से पूर्व सीपीसी की पालना में अप्रार्थीगण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी अपीलान्ट एवं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित करें । परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय पारित करने तक उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 23.05.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा